

उत्तर प्रदेश विधान सभा की अनुपूरक कार्य-सूची

शनिवार, 31 श्रावण, शक संवत् 1942

(22 अगस्त, 2020 ई0)

- XXXX XXXX XXXX
- 168 (1) मुख्य मंत्री यह प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश मंत्री (वित्त, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार किया जाय।
- 168 (2) मुख्य मंत्री यह प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश मंत्री (वित्त, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया जाय।
- 168 (3) मुख्य मंत्री यह प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार किया जाय।
- 168 (4) मुख्य मंत्री यह प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया जाय।
- 168 (5) मुख्य मंत्री यह प्रस्ताव करेंगे कि कारागार (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार किया जाय।
- 168 (6) मुख्य मंत्री यह प्रस्ताव करेंगे कि कारागार (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया जाय।
- 168 (7) मुख्य मंत्री यह प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली विधेयक, 2020 पर विचार किया जाय।
- 168 (8) मुख्य मंत्री यह प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली विधेयक, 2020 पारित किया जाय।
- 168 (9) मुख्य मंत्री यह प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार किया जाय।
- 168 (10) मुख्य मंत्री यह प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया जाय।
- 168 (11) मुख्य मंत्री यह प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार किया जाय।
- 168 (12) मुख्य मंत्री यह प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया जाय।
- 168 (13) मुख्य मंत्री यह प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल विधेयक, 2020 पर विचार किया जाय।
- 168 (14) मुख्य मंत्री यह प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल विधेयक, 2020 पारित किया जाय।
- 168 (15) मुख्य मंत्री यह प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार किया जाय।
- 168 (16) मुख्य मंत्री यह प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया जाय।
- 168 (17) मुख्य मंत्री यह प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकारी सम्पत्ति (प्रबंधन और निस्तारण) विधेयक, 2020 पर विचार किया जाय।
- 168 (18) मुख्य मंत्री यह प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकारी सम्पत्ति (प्रबंधन और निस्तारण) विधेयक, 2020 पारित किया जाय।
- 168 (19) औद्योगिक विकास मंत्री यह प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार किया जाय।

- 168 (39) श्रम एवं सेवायोजन मंत्री यह प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार किया जाय।
- 168 (40) श्रम एवं सेवायोजन मंत्री यह प्रस्ताव करेंगे उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया जाय।
- 168 (41) श्रम एवं सेवायोजन मंत्री यह प्रस्ताव करेंगे कि कारखाना (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार किया जाय।
- 168 (42) श्रम एवं सेवायोजन मंत्री यह प्रस्ताव कारखाना (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया जाय।
- 168 (43) संसदीय कार्य मंत्री यह प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार किया जाय।
- 168 (44) संसदीय कार्य मंत्री यह प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया जाय।
- 168 (45) वित्त मंत्री यह प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार किया जाय।
- 168 (46) वित्त मंत्री यह प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया जाय।
- 168 (47) गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री यह प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश गन्ना(पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार किया जाय।
- 168 (48) गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री यह प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश गन्ना(पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया जाय।
- 168 (49) विधायी एवं न्याय मंत्री यह प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज विधेयक, 2020 पर विचार किया जाय।
- 168 (50) विधायी एवं न्याय मंत्री यह प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज विधेयक, 2020 पारित किया जाय।
- 168 (51) विधायी मंत्री यह प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक, 2020 पर विचार किया जाय।
- 168 (52) विधायी मंत्री यह प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक, 2020 पारित किया जाय।
- 168 (53) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन मंत्री यह प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (स्थापन एवं संचालन सरलीकरण) विधेयक, 2020 पर विचार किया जाय।
- 168 (54) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन मंत्री यह प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (स्थापन एवं संचालन सरलीकरण) विधेयक, 2020 पारित किया जाय।

XXX

XXX

XXX

लखनऊ:

आज्ञा से,

दिनांक: 22 अगस्त, 2020

(प्रदीप कुमार दुबे)
प्रमुख सचिव।